भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3232

उत्तर देने की तारीख: 09.12.2019

योग शिक्षकों की कमी

3232. श्री विजय बघेलः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में योग शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने योग शिक्षकों की कमी के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ राज्य सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में योग के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ) : शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकतर स्कूल, योग शिक्षकों सहित शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकार के क्षेत्राधिकार के तहत आती है और संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार पर है कि वह अपने स्कूलों के लिए इन मामलों में निर्णय लें।

(ड.) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा (एनसीएफ), 2005 में योग को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश की गई है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कक्षा I से कक्षा X तक अनिवार्य और कक्षा XI से कक्षा XII तक वैकल्पिक विषय हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने पहले ही कक्षा I से कक्षा X तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर एकीकृत पाठ्यक्रम विकसित किया है। एनसीईआरटी ने विभिन्न स्तरों पर देशभर में योग ओलम्पियाड आयोजित किए राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के स्कूलों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूलों ने एनसीईआरटी, नई दिल्ली में 18 से 20 जून 2019 को आयोजित राष्ट्रीय योग ओलम्पियाड में भाग लिया।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने I-XII की सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। स्कूलों को यह सलाह दी गई है कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में तीन क्षेत्र शामिल हैं अर्थात् स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और योग और इनमें तीनों क्षेत्र समग्र स्वास्थ्य (शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक) प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

सरकार ने योग सीखने के इच्छुक विदेशियों को भारत में प्रामाणिक योग प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु "स्टडी इन इंडिया" कार्यक्रम में योग प्रशिक्षण को भी शामिल किया है। यूजीसी ने बेंगलुरु में एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर-योगिक साइंस की स्थापना को मंजूरी दी है और जनवरी 2017 से यूजीसी-नेट विषय के रूप में योग को एक नई राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) के रूप में पेश किया है। नौ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा आयुष मंत्रालय भी योग को बढ़ावा देने और लोगों के लाभ के लिए जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा एक सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना, तैयार की गई है, जिसके तहत गतिविधियों में लोगों तक पहुंच बनाने और योग और प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपाय शामिल हैं। आईईसी गतिविधियों में टीवी, रेडियो, प्रिंट-मीडिया आदि कार्यक्रम शामिल हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) के आयोजन के भाग के रूप में, आयुष मंत्रालय ने गांवों में योग के प्रचार के लिए प्रस्तावित कार्य योजना के साथ लगभग 2.5 लाख ग्राम प्रधानों से संपर्क किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को ग्रामीण क्षेत्रों में योग को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया है।

योग फिट-इंडिया अभियान का भी हिस्सा है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा खेल विभाग के सहयोग से शारीरिक गतिविधि/खेल/योग को छात्रों के दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए स्कूलों में "फिट इंडिया मूवमेंट- फिट इंडिया स्कूल" पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने स्कूल प्राधिकरणों को 29 अगस्त, 2019 को छात्रों को फिटनेस शपथ कार्यक्रम देखने/सुनने और फिटनेस शपथ लेने की आवश्यक व्यवस्था करने हेतु एडवाइज़री जारी की है। देशभर से लगभग तेरह लाख स्कूलों और ग्यारह करोड़ छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया/देखा और फिटनेस शपथ ली।

*****